कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा, (म0प्र0)

क्रमांक क्यू–5 / 2020, रीवा, दिनांक 22 / 04 / 2020

प्रति,

पुलिस अधीक्षक,
रीवा, जिला रीवा।

विषयः– कोविड–19 संक्रमण के दौरान लॉकडाउन अवधि में अतिआवश्यक न्यायिक कार्य का संपादन विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से कराये जाने के संबंध में मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी मॉडल गाइडलाईन बावत्।

सन्दर्भः– माननीय उच्च न्यायालय का पत्र क्रमांक रजिस्ट्रार आई.टी.एस.ए. / 2020 / क्यू जबलपुर दिनांक 20.04.2020.

––00––

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सन्दर्भित पत्र में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जिला स्थापनाओं में कोविड–19 संक्रमण के दौरान लॉकडाउन अवधि में अतिआवश्यक प्रकृति के मामलों में सुनवाई हेतु विडियो कांफ्रेंसिंग की मॉडल गाईडलाईन / निर्देश जारी किए गये हैं जिनमें संबंधित न्यायालय द्वारा मामले की केस डायरी के लिए पुलिस अधीक्षक अथवा थाना प्रभारी के ई–मेल आईडी में आवेदन अथवा मांग पत्र भेजे जाने, पुलिस अधीक्षक द्वारा इस बावत् नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाने एवं नोडल अधिकारी द्वारा सभी थानों से समन्वय कर प्रतिवेदन एवं केस डायरी संबंधित न्यायिक स्थापना के ई–मेल आईडी पर प्रेषित करने के निर्देश हैं जिला न्यायालय रीवा की ई–मेल आईडी dcourtrew@mp.nic.in, तहसील मउगंज की ई–मेल आईडी ecourt-mp1705@indiacourt.nic.in, तहसील त्योंथर की ई–मेल आईडी ecourt-mp1707@indiacourt.nic.in, तहसील सिरमौर की ई–मेल आईडी ecourt-mp1706@indiacourt.nic.in, तहसील हनुमना की ई–मेल आईडी rawi.nmd@gmail.com है।

अतः उक्त संबंध में संदर्भित पत्र की प्रति संलग्न करते हुए लेख है कि मान्नीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार विडियो कांफ्रेसिंग के प्रक्रिया के क्रियान्वयन हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाने एवं उक्त अधिकारी के मो0 नं0 तथा ई–मेल आईडी से अविलंब अवगत कराये जाने का कष्ट करें।

संलग्नः– सन्दर्भित पत्र।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
रीवा (म0प्र0)

प्रतिलिपिः–

1– लोक अभियोजक, जिला रीवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
रीवा (म0प्र0)

Scanned by CamScanner

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा, (म0प्र0)

क्रमांक क्यू–1/2020,   रीवा, दिनांक 22/04/2020

प्रति,

प्रभारी अधिकारी/पंचम अपर जिला न्यायाधीश
कंप्यूटर अनुभाग,
जिला न्यायालय, रीवा (म0प्र0)

विषयः– कोविड–19 संक्रमण के दौरान लॉकडाउन अवधि में अति आवश्यक न्यायिक कार्य का संपादन विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से कराये जाने बावत् दिशा निर्देश।

सन्दर्भः– माननीय उच्च न्यायालय का पत्र क्रमांक रजिस्ट्रार आई.टी.एस.ए./2020/क्यू जबलपुर दिनांक 20.04.2020.

––00––

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सन्दर्भित पत्र में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जिला स्थापनाओं में कोविड–19 संक्रमण के दौरान लॉकडाउन अवधि में अतिआवश्यक प्रकृति के मामलों में सुनवाई हेतु विडियो कांफ्रेंसिंग की मॉडल गाईड़लाईन/निर्देश जारी किए गये हैं।

अतः उक्त संबंध में संदर्भित पत्र की प्रति संलग्न करते हुए जिला न्यायालय में गाईडलाइन के अनुसार न्यायालयों में विडियो कांफेसिंग के प्रकिया के संबंध में आवश्यक कार्यवाही किया जाकर सूचित किया जाना सुनिश्चित करें।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
रीवा (म0प्र0)

संलग्नः– सन्दर्भित पत्र।

प्रतिलिपिः–

1– प्रभारी अधिकारी कंप्यूटर अनुभाग मउगंज/त्योंथर/हनुमना/सिरमौर की ओर तहसील न्यायालयों में अतिआवश्यक मामलों की सुनवाई हेतु विडियो कांफेसिंग की मॉडल गाइडलाईन में विहित निर्देशों के अनुसार कार्यवाही किये जाने बावत्।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
रीवा (म0प्र0)

Scanned by CamScanner

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा, (म0प्र0)

क्रमांक क्यू–3/2020, रीवा, दिनांक 22/04/2020

प्रति,

अध्यक्ष,
अधिवक्ता संघ,
रीवा/मउगंज/सिरमौर/त्योंथर/हनुमना,

विषयः– कोविड–19 संक्रमण के दौरान लॉकडाउन अवधि में अतिआवश्यक न्यायिक कार्य का संपादन विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से कराये जाने के संबंध में मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों को अधिवक्ताओं के समक्ष परिचालित कराये जाने बावत्।

सन्दर्भः– माननीय उच्च न्यायालय का पत्र क्रमांक रजिस्ट्रार आई.टी.एस.ए./2020/क्यू जबलपुर दिनांक 20.04.2020.

––00––

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सन्दर्भित पत्र में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जिला स्थापनाओं में कोविड–19 संक्रमण के दौरान लॉकडाउन अवधि में अतिआवश्यक प्रकृति के मामलों में सुनवाई हेतु विडियो कांफ्रेंसिंग की मॉडल गाईडलाईन/निर्देश जारी किए गये हैं।

अतः उक्त संबंध में संदर्भित पत्र की प्रति संलग्न करते हुए लेख है कि उक्त दिशा निर्देशों के संबंध में विडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु जारी मॉडल गाइडलाईन समस्त अधिवक्ताओं के मध्य परिचालित कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– सन्दर्भित पत्र।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
रीवा (म0प्र0)

Scanned by CamScanner

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा, (म0प्र0)

क्रमांक क्यू–4 / 2020,

रीवा, दिनांक 22 / 04 / 2020

प्रति,

समस्त न्यायाधीशगण,
रीवा / मउगंज / त्योंथर / सिरमौर / हनुमना / मनगवां,
जिला रीवा।

विषयः– कोविड–19 संक्रमण के दौरान लॉकडाउन अवधि में अतिआवश्यक न्यायिक कार्य का संपादन विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से कराये जाने के संबंध में मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी मॉडल गाइडलाईन बावत्।

सन्दर्भः– माननीय उच्च न्यायालय का पत्र क्रमांक रजिस्ट्रार आई.टी.एस.ए. / 2020 / क्यू जबलपुर दिनांक 20.04.2020.

––**00**––

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सन्दर्भित पत्र में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जिला स्थापनाओं में कोविड–19 संक्रमण के दौरान लॉकडाउन अवधि में अतिआवश्यक प्रकृति के मामलों में सुनवाई हेतु विडियो कांफ्रेंसिंग की मॉडल गाईडलाईन / निर्देश जारी किए गये हैं।

अतः उक्त संबंध में संदर्भित पत्र की प्रति संलग्न करते हुए समस्त न्यायाधीशगण की ओर विडियो कांफ्रेसिंग के संबंध में दिशा निर्देशों का पालन किए जाने बावत् ई–मेल पर प्रेषित है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
रीवा (म0प्र0)

<u>संलग्नः–</u> सन्दर्भित पत्र।

<u>प्रतिलिपिः–</u>

1– जिला रजिस्ट्रार (Single Point of Contact) जिला न्यायालय, रीवा की ओर संदर्भित पत्र की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
रीवा (म0प्र0)

Scanned by CamScanner